## कार्यालय नगरपालिक निगम भिलाई

क्रमांक / /चार/रा.वि./2026 भिलाई, दिनांक /07/2026

### –::: निविदा आमंत्रण सूचना :::–

नगरपालिक निगम, भिलाई द्वारा रिक्त दुकानों को किराये पर दिये जाने हेतु निविदा/प्रस्थापना ऑनलाईन पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in/ में दिनांक 14.07.2026 शाम 05:30 बजे से से आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 04.08.2026 सायं 5.30 बजे तक है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

| क्र. | योजना का नाम | ऑक्सन क्र. |
|---|---|---|
| 01 | पं.दीनदयाल मिनी स्टेडियम खेल परिसर | 195201, 195208, 195211, 195212, 195213, 195214, 195215, 195217, 195218, 195225, 195234, 195241, 195243, 195244, 195247, 195248, 195250, 195251, 195252, 195253, 195254, 195255, 195257, 195271, 195272, 195275, 195276, 195277, 195278, 195279, 195280, 195281, 195282, 195283, 195285, 195286, 195289, 195290, 195291, 195292, 195293, 195295, 195297, 195300, 195301, 195302, 195303, 195305, 195306, 195308, 195309, 195311, 195313, 195315, 195316, 195317, 195318, 195319, 195320, 195321 |

विस्तृत जानकारी (नियम/शर्तें) सूचना पटल एवं पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in/, https://bhilainagarnigam.com/ व https://uad.cg.gov.in/ पर देखी जा सकती है किसी भी प्रकार के संशोधन केवल उक्त वेबसाइट पर ऑनलाईन ही जारी किये जाएंगे।

उपायुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

# कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

## नीलामी द्वारा दुकान आबंटन की शर्तें

नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मिनी स्टेडियम, खुर्सीपार में निर्मित दुकानों का आबंटन आरक्षित मूल्य पर निर्धारित किराया राशि पर उच्चतम ऑफरकर्ता को अस्थायी किरायेदारी पर सार्वजनिक घोषित विक्रय के द्वारा ई–निविदा के माध्यम से आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया निम्नांकित अनुसार होगी नियम व शर्तें निम्नानुसार है :–

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति के संबंध में यह माना जावेगा कि उन्होने नीलामी और आबंटन की सभी शर्तो को पढ़कर समझ लिया है।
2. नीलामी के पूर्व भाग लेने वाले व्यक्ति को निर्धारित धरोहर राशि आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के नाम पर ऑनलाईन के माध्यम से जमा करनी होगी।
3. नीलामी के पूर्व प्रत्येक दुकान के लिए निगम द्वारा सरकारी बोली निर्धारित की गई है। इस राशि से अधिक की राशि के लिए ही नीलामी की जावेगी।
4. बिना कोई कारण बताये नीलामी को स्वीकार करने या न करने का अधिकार निगम को होगा।
5. निगम के आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत नीलामी प्रभारी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी दुकान की नीलामी किसी स्तर पर रोक सकेगें उनके लिये यह आवश्यक नही होगा कि समस्त उद्घोषित दुकानों की नीलामी करें।
6. सुरक्षित कोटे के दुकान के लिये नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्याशी के लिये आवश्यक होगा कि वे पात्रता के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र नीलामी के पूर्व जमा करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति से कलेक्टर द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांगता की स्थिति में सिविल सर्जन और भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में वित्त मंत्रालय भारत सरकार या कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अधिमान्य होगा।

विभिन्न दुकान का क्रमांक, आरक्षण, भूतल, प्रथमतल, आकार, दुकान का कुल मूल्य, आरक्षित मूल्य तथा मासिक किराया निम्नांकित अनुसूची में वर्णित है:–

| क्र. | योजना का नाम | दुकान का प्रकार एवं प्रकार | निर्मित तल | आकार | दुकान का कुल मूल्य (आरक्षित मूल्य) | दुकान का वार्षिक भाड़ा मूल्य | दुकान का निर्धारित मासिक किराया | प्रति दुकान एफ.डी.आर. के माध्यम से देय धरोहर राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | पं. दीनदयाल मिनी स्टेडियम खेल परिसर | टाईप–ए–3 अ.पि.व. | भूतल | 52.15 व0मी0 | 4823875.00 | 301492.00 | 25125.00 | 125626.00 |
| 2 | | टाईप–ए–4 अ.पि.व. | भूतल | 52.15 व0मी0 | 4823875.00 | 301492.00 | 25125.00 | 125626.00 |
| 3 | | टाईप–ए–5 अ.जा. | भूतल | 52.15 व0मी0 | 4823875.00 | 301492.00 | 25125.00 | 125626.00 |
| 4 | | टाईप–ए–6 सामान्य | भूतल | 52.15 व0मी0 | 4823875.00 | 301492.00 | 25125.00 | 125626.00 |
| 5 | | टाईप–ए–7 सामान्य | भूतल | 52.15 व0मी0 | 4823875.00 | 301492.00 | 25125.00 | 125626.00 |
| 6 | | टाईप–ए–8 सामान्य | भूतल | 52.15 व0मी0 | 4823875.00 | 301492.00 | 25125.00 | 125626.00 |
| 7 | | टाईप–ए–9 सामान्य | भूतल | 52.15 व0मी0 | 4823875.00 | 301492.00 | 25125.00 | 125626.00 |
| 8 | | टाईप–ए–10 सामान्य | भूतल | 52.15 व0मी0 | 4823875.00 | 301492.00 | 25125.00 | 125626.00 |
| 9 | | टाईप–ए–11 सामान्य | भूतल | 52.15 व0मी0 | 4823875.00 | 301492.00 | 25125.00 | 125626.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | टाईप–ए–12 सामान्य | भूतल | 52.15 व0मी0 | 4823875.00 | 301492.00 | 25125.00 | 125626.00 |
| 11 | | टाईप–ए–13 सामान्य | भूतल | 52.15 व0मी0 | 4823875.00 | 301492.00 | 25125.00 | 125626.00 |
| 12 | | टाईप–ए–14 सामान्य | भूतल | 52.15 व0मी0 | 4823875.00 | 301492.00 | 25125.00 | 125626.00 |
| 13 | | टाईप–ए–15 महिला | भूतल | 52.15 व0मी0 | 4823875.00 | 301492.00 | 25125.00 | 125626.00 |
| 14 | | टाईप–ए–16 शिक्षित बेरोजगार | भूतल | 52.15 व0मी0 | 4823875.00 | 301492.00 | 25125.00 | 125626.00 |
| 15 | | टाईप–ए–17 अ.ज.जा. | भूतल | 52.15 व0मी0 | 4823875.00 | 301492.00 | 25125.00 | 125626.00 |
| 16 | | टाईप–ए–18 महिला | भूतल | 52.15 व0मी0 | 4823875.00 | 301492.00 | 25125.00 | 125626.00 |
| 17 | | टाईप–बी–1 भू.पू.सै. | भूतल | 28.70 व0मी0 | 2654750.00 | 165922.00 | 13827.00 | 69135.00 |
| 18 | | टाईप–बी–2 सामान्य | भूतल | 28.70 व0मी0 | 2654750.00 | 165922.00 | 13827.00 | 69135.00 |
| 19 | | टाईप–बी–3 अ.पि.व. | भूतल | 28.70 व0मी0 | 2654750.00 | 165922.00 | 13827.00 | 69135.00 |
| 20 | | टाईप–बी–4 अ.पि.व. | भूतल | 28.70 व0मी0 | 2654750.00 | 165922.00 | 13827.00 | 69135.00 |
| 21 | | टाईप–बी–5 अ.जा. | भूतल | 28.70 व0मी0 | 2654750.00 | 165922.00 | 13827.00 | 69135.00 |
| 22 | | टाईप–बी–6 महिला | भूतल | 28.70 व0मी0 | 2654750.00 | 165922.00 | 13827.00 | 69135.00 |
| 23 | | टाईप–सी–1 सामान्य | भूतल | 9.60 व0मी0 | 888000.00 | 55500.00 | 4625.00 | 23125.00 |
| 24 | | टाईप–सी–2 शिक्षित बेरोजगार | भूतल | 9.60 व0मी0 | 888000.00 | 55500.00 | 4625.00 | 23125.00 |
| 25 | | टाईप–सी–3 दिव्यांग | भूतल | 9.60 व0मी0 | 888000.00 | 55500.00 | 4625.00 | 23125.00 |
| 26 | पं. दीनदयाल मिनी स्टेडियम खेल परिसर | टाईप–सी–4 सामान्य | भूतल | 9.60 व0मी0 | 888000.00 | 55500.00 | 4625.00 | 23125.00 |
| 27 | | टाईप–सी–5 अ.पि.व. | भूतल | 9.60 व0मी0 | 888000.00 | 55500.00 | 4625.00 | 23125.00 |
| 28 | | टाईप–सी–6 अ.जा. | भूतल | 9.60 व0मी0 | 888000.00 | 55500.00 | 4625.00 | 23125.00 |
| 29 | | टाईप–सी–7 अ.जा. | भूतल | 9.60 व0मी0 | 888000.00 | 55500.00 | 4625.00 | 23125.00 |
| 30 | | टाईप–सी–8 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी | भूतल | 9.60 व0मी0 | 888000.00 | 55500.00 | 4625.00 | 23125.00 |
| 31 | | टाईप–ए–1/1 सामान्य | भूतल | 41.65 व0मी0 | 3852625.00 | 240789.00 | 20066.00 | 100330.00 |
| 32 | | टाईप–ए–1/2 सामान्य | भूतल | 41.65 व0मी0 | 3852625.00 | 240789.00 | 20066.00 | 100330.00 |
| 33 | | टाईप–ए–1 अ.जा. | प्रथम तल | 27.30 व0मी0 | 2320500.00 | 145031.00 | 12086.00 | 60430.00 |
| 34 | | टाईप–ए–2 अ.ज.जा. | प्रथम तल | 27.30 व0मी0 | 2320500.00 | 145031.00 | 12086.00 | 60430.00 |
| 35 | | टाईप–ए–3 सामान्य | प्रथम तल | 27.30 व0मी0 | 2320500.00 | 145031.00 | 12086.00 | 60430.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | टाईप–ए–4 सामान्य | प्रथम तल | 27.30 व0मी0 | 2320500.00 | 145031.00 | 12086.00 | 60430.00 |
| 37 | | टाईप–ए–5 सामान्य | प्रथम तल | 27.30 व0मी0 | 2320500.00 | 145031.00 | 12086.00 | 60430.00 |
| 38 | | टाईप–ए–6 सामान्य | प्रथम तल | 27.30 व0मी0 | 2320500.00 | 145031.00 | 12086.00 | 60430.00 |
| 39 | | टाईप–ए–7 अ.पि.व. | प्रथम तल | 27.30 व0मी0 | 2320500.00 | 145031.00 | 12086.00 | 60430.00 |
| 40 | | टाईप–ए–08 अ.पि.व. | प्रथम तल | 27.30 व0मी0 | 2320500.00 | 145031.00 | 12086.00 | 60430.00 |
| 41 | पं. दीनदयाल मिनी स्टेडियम खेल परिसर | टाईप–ए–09 विधवा एवं परित्याक्ता | प्रथम तल | 27.30 व0मी0 | 2320500.00 | 145031.00 | 12086.00 | 60430.00 |
| 42 | | टाईप–ए–10 शिक्षित बेरोजगार | प्रथम तल | 27.30 व0मी0 | 2320500.00 | 145031.00 | 12086.00 | 60430.00 |
| 43 | | टाईप–ए–11 सामान्य | प्रथम तल | 27.30 व0मी0 | 2320500.00 | 145031.00 | 12086.00 | 60430.00 |
| 44 | | टाईप–ए–12 सामान्य | प्रथम तल | 27.30 व0मी0 | 2320500.00 | 145031.00 | 12086.00 | 60430.00 |
| 45 | | टाईप–ए–13 सामान्य | प्रथम तल | 27.30 व0मी0 | 2320500.00 | 145031.00 | 12086.00 | 60430.00 |
| 46 | | टाईप–ए–14 सामान्य | प्रथम तल | 27.30 व0मी0 | 2320500.00 | 145031.00 | 12086.00 | 60430.00 |
| 47 | | टाईप–ए–15 सामान्य | प्रथम तल | 27.30 व0मी0 | 2320500.00 | 145031.00 | 12086.00 | 60430.00 |
| 48 | | टाईप–ए–16 सामान्य | प्रथम तल | 27.30 व0मी0 | 2320500.00 | 145031.00 | 12086.00 | 60430.00 |
| 49 | | टाईप–ए–17 महिला | प्रथम तल | 27.30 व0मी0 | 2320500.00 | 145031.00 | 12086.00 | 60430.00 |
| 50 | | टाईप–ए–18 महिला | प्रथम तल | 27.30 व0मी0 | 2320500.00 | 145031.00 | 12086.00 | 60430.00 |
| 51 | पं. दीनदयाल मिनी स्टेडियम खेल परिसर | टाईप–ए–19 अ.जा. | प्रथम तल | 27.30 व0मी0 | 2320500.00 | 145031.00 | 12086.00 | 60430.00 |
| 52 | | टाईप–ए–20 अ.जा. | प्रथम तल | 27.30 व0मी0 | 2320500.00 | 145031.00 | 12086.00 | 60430.00 |
| 53 | | टाईप–बी–1 विधवा एवं परित्यागता | प्रथम तल | 25.15 व0मी0 | 2137750.00 | 133609.00 | 11134.00 | 55670.00 |
| 54 | | टाईप–बी–2 अ.पि.व. | प्रथम तल | 25.15 व0मी0 | 2137750.00 | 133609.00 | 11134.00 | 55670.00 |
| 55 | | टाईप–बी–3 सामान्य | प्रथम तल | 25.15 व0मी0 | 2137750.00 | 133609.00 | 11134.00 | 55670.00 |
| 56 | | टाईप–बी–4 सामान्य | प्रथम तल | 25.15 व0मी0 | 2137750.00 | 133609.00 | 11134.00 | 55670.00 |
| 57 | | टाईप–सी–1 सामान्य | प्रथम तल | 11.20 व0मी0 | 952000.00 | 59500.00 | 4958.00 | 24790.00 |
| 58 | | टाईप–सी–2 अ.पि.व. | प्रथम तल | 11.20 व0मी0 | 952000.00 | 59500.00 | 4958.00 | 24790.00 |
| 59 | | टाईप–सी–3 महिला | प्रथम तल | 11.20 व0मी0 | 952000.00 | 59500.00 | 4958.00 | 24790.00 |
| 60 | | टाईप–सी–4 अनु.जाति | प्रथम तल | 11.20 व0मी0 | 952000.00 | 59500.00 | 4958.00 | 24790.00 |

7. निर्मित दुकानों की संख्या भूतल में 32 एवं प्रथम तल में 28 दुकानें है, जिसका साइज अलग अलग है। जो निविदा पत्र में दर्शित है।
8. निविदाकार को निगम द्वारा दुकानों के निर्धारित मासिक किराये राशि से अधिक उच्चतम बोली का ऑफर करना होगा।
9. स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा निर्मित अचल संपत्ति नियम 3 के उप–नियम (3) के उपबंधों के अनुसार नियमानुसार अनुबंध कर प्रारंभिक रूप से दस महीने की अवधि के लिए किराए पर दी जाएगी। किराया अनुबंध के अधिकतम तीन बार के लिए विस्तार के अध्ययन रहते हुए, किराए में कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि करके, दस महीने की अवधि के लिए किराया अनुबंध आगे बढ़ाया जा सकता है।
10. दुकानों को किराये पर उपलब्ध कराने के संबंध में किरायेदार किसी भी प्रकार का कोई वाद न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकेगा, तथा किरायेदार भविष्य के किरायेदारी के लिए दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
11. यह कि आबंटिती (किरायेदार) दुकान को कानून प्रतिबंधित कोई भी कार्य अथवा व्यापार करने के लिए उपयोग नहीं करेगा, जिसकी बाध्यता रहेगी।
12. यह कि, किराये पर आबंटित दुकान के बाहर बरामदा व सडक पर सामान नही रखेगा तथा आवागमन में किसी प्रकार अड़चन व अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।
13. यह कि किराये पर दुकान का आबंटन आबंटिती (किरायेदार) के पक्ष में उनके स्वंय के नाम पर नामजद व्यवसाय के लिए किया गया है। उन्हें उक्त दुकान पर उप–किरायेदार बनाने का अधिकार नही रहेगा।
14. यह कि आबंटिती (किरायेदार) को किराये के दुकान में किसी भी प्रकार के रूपांतरण, बिना निगम की लिखित अनुमति लिए करने का अधिकार नहीं रहेगा। यदि अनुमति लिए बिना दुकान के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन किये जाते है तो निगम को अधिकार होगा, कि आबंटिती (किरायेदार) का किराया अनुबंध समाप्त कर दे और इसी आधार पर दुकान से बेदखल कर दे।
15. यह कि, दुकान में विद्युत फीटिंग एंव विद्युत मीटर आबंटिती (किरायेदार) के स्वय के व्यय से करना होगा। परंतु विद्युत अनापत्ति निगम से प्राप्त करना होगा।
16. यह कि, आबंटिती (किरायेदार) को अपने स्वंय के व्यय पर दुकान का वार्षिक साफ सफाई, रंगाई पोताई मरम्मत करना होगा।
17. यह कि, आबंटिती (किरायेदार) को किरायेदारी पर आबंटन क्षेत्रफल के दुकान में ही व्यवसाय अधिकार प्राप्त होगा। इससे अधिक क्षेत्र का उपयोग अन्याकाति माना जावेगा और वह बेदखली योग्य होगा।
18. यह कि, प्रत्येक माह दुकान का निर्धारित मासिक किराया की राशि उस माह की एक तारीख से 10 तारीख तक बतौर अग्रिम देय होगी। आबंटिती (किरायेदार) का दायित्व होगा, कि वह निगम कार्यालय में जाकर किराये की रकम जमा कर रसीद प्राप्त करे।
19. यह कि दुकान का आबंटन एवं कब्जा माहवारी किरायेदारी पर किया गया है। हर अंग्रेजी माह के प्रथम तारीख से प्रारम्भ होकर उस माह के अंतिम तारीख को समाप्त होगा। किसी भी वर्ष में किसी भी तीन महीने का किराया लगातार बकाया रहने की स्थिति में किराया बकाया रहने के तारीख से किराया अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और नियमानुसार दुकान का रिक्त कब्जा निगम प्राप्त कर सकेगा।
20. यह कि आबंटिती (किरायेदार) को दुकान पर आरोपित निगम के सफाई कर (यूजर चार्जेस), सामान्य जलकर, एवं अन्य कर जो नियमानुसार मासिक किराया के अतिरिक्त देय होगा।
21. यह कि आबंटिती (किरायेदार) के आबंटन अवधि में निगम के निर्देशों आदेशों का समुचित पालन करना होगा।
22. यह कि अनुबंध की एक या अनेक शर्तों पर उल्लंघन होने पर किराया अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोटिस देकर दुकान का रिक्त कब्जा प्राप्त कर सकेगा।
23. यह कि समय–समय पर शासन द्वारा नगर पालिक निगम, उपविधियों के तहत जारी दिशा निर्देश का पालन किया जावेगा तथा आबंटन एवं किराया अनुबंध की शर्तों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम में प्रावधानित धाराओं के तहत भी कार्यवाही की जावेगी।
24. यह कि, उपरोक्त शर्तों के शब्दों, उनकी व्याख्या में कोई असंगति हो या उस पर मतभेद हो तो इस संबंध में **आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई** का निर्णय अंतिम एव सर्वमान्य होगा।

**आयुक्त**
नगर पालिक निगम
भिलाई